न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारीः– डॉ हरीतिमा, आर0ए0एस0

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 40/2023

लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

अभियुक्त (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्त्ता) श्री सुरेश कुमार लिम्बा, जाति कुम्हार निवासी मुन्जगढ़, खुहियान सरवार, जिला फिरोजपुर, पंजाब।

फर्म– मै. दुध विक्रेता, निवासी मुन्जगढ़, खुहियान सरवार, जिला फिरोजपुर, पंजाब।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(II)/51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय **दिनांक : 28 जुलाई, 2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.08.2021 को 08.00 एम पर श्री सुरेश कुमार लिम्बा, जाति कुम्हार निवासी मुन्जगढ़, खुहियान सरवार, जिला फिरोजपुर, पंजाब के वाहन लोडिंग संख्या पीबी 05 एएन 2501 का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान **गाय का दूध** 50 लीटर खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था, जिसका स्वंय को मालिक एवं विक्रेता होना बताया और विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र मांगने पर उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर नहीं होना बताया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के बेचान हेतु खाद्य पदार्थ **गाय के दूध** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **गाय के दूध** को नमूने वास्ते 02 लीटर खरीद किया एवं मौके पर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

60/– रुपए का भुगतान किया एवं एवं केशमीमो बनवाकर, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गाय के दूध** को हिला–मिलाकर एकरूप करके चार बोतलों में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर परीक्षक बतौर फोरमलिन की 40–40 बूंदे मिलाकर एयरटाइट ढक्कन से बंद कर प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डीओ श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1165** लगाया और प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

तत्पश्चात खरीद शुदा **गाय के दूध** के चारों जारों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **के–1165** को नियमानुसार चारों नमूनों को नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बंद कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर, समझाकर फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हेतु कहा, जिसे श्री सुरेश कुमार लिम्बा व गवाहान ने समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म 6 की 8 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सीलबन्द कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को श्री जगदीश कुमार के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की तथा शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा कराकर रसीद ली गई। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, बीकानेर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 244/एक्ट/2021/235 दिनांक 19.08.2021 के अनुसार खाद्य नमूना **के–1165** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(II)/51 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ **गाय का दूध अमानक (सबस्टेण्डर्ड)** फूड पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीगांनगर ने अभियुक्त के विरूद्ध एफ.एस.एस.ए.एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 03.03.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि अप्रार्थी के विरूद्ध नोटिस में वर्णित आरोप गलत व बेबुनियाद लगाए गए हैं। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से अमानक गाय के दूध का विक्रय नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों को उल्लंघन नहीं किया है। अप्रार्थी के विरूद्ध आरोप झूठे लगाए गए हैं। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध जारी किया गया नोटिस दाखिल दफ्तर फरमाया जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री सुरेश कुमार लिम्बा, जाति कुम्हार निवासी मुन्जगढ़, खुहियान सरवार, जिला फिरोजपुर, पंजाब से लिया गया **गाय के दूध** का सैम्पल **के–1165** जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस 244/एक्ट/2021/235 दिनांक 19.08.2021 द्वारा **सब स्टेण्डर्ड (अमानक)** पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II)/51 के उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि The sample of "**Cow Milk**" bearing Code No. and Sr. No. K-1165 of Designated Officer cum the Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar, is **Sub-standard Food** as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standard (Food Products Standard and Food Additive) Regulation, 2011.

फलस्वरूप, श्री सुरेश कुमार लिम्बा, जाति कुम्हार निवासी मुन्जगढ़, खुहियान सरवार, जिला फिरोजपुर, पंजाब को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(II)/51 के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री सुरेश कुमार लिम्बा को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 2000/– (अखरे रूपये दो हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ हरीतिमा)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्री गंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)